हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुआ बनाम राजाराम धारा 88,188 प्रकरण संख्या 09/2019	तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/10/21	पत्रावली में पक्षकारान् की ओर से राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो गया है, पक्षकारान् के मध्य आपस में कोई विवाद नहीं रहा है और विवादित भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीगण के नाम की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने दावे के माध्यम से वादीगण के पति/पिता स्व0 श्री भगाराम व उनके भाई–बहनों प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1283 रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम वडला नगर, पटवार क्षेत्र झंवर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, वादीगण के पति/पिता व उनके परिवार वालों प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी की गैरमुमकिन ढाणी खेत खसरा संख्या 1282 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम वडला नगर, पटवार क्षेत्र झंवर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, वादीगण के पति/पिता स्व0 श्री भगाराम व उनके भाई–बहनों प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1343/1 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम झंवर, पटवार क्षेत्र झंवर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर व वादीगण के पति/पिता स्व0 श्री भगाराम व उनके परिवार वालों के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 941 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम अजीतनगर, पटवार क्षेत्र झंवर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में अपना हक, हिस्सा व अधिकार बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा चाही है। वादीगण ने अपने पति/पिता स्व0 श्री भगाराम पुत्र भूराराम पटेल के स्वर्गवास के संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ला नगर द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 08.03.2021 प्रस्तुत किया है, जिसमें भगाराम के स्वर्गवास होने व वादीगण का उनके उत्तराधिकारी होने का कथन है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण स्व0 श्री भगाराम के उत्तराधिकारी हैं और स्व0 श्री भगाराम के स्वर्गवास के उपरान्त	

उपखण्ड अधिकारी ... लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट

उत्तराधिकारियों वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त होने से वादीगण भी इन विवादित कृषि भूमियों के खातेदार–काश्तकार घोषित किए जाने योग्य हैं। प्रतिवादीगण का इसके संबंध में किसी तरह का कोई एतराज नहीं हैं। इन परिस्थितियों में वादीगण को उपरोक्त भूमियों का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाना एवं संबंधित तहसीलदार, लूणी को उपरोक्त भूमियों का नामान्तरकरण वादीगण के नाम से भरे जाने हेतु उचित निर्देश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः चूंकि उभय पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद नहीं होना चाहिए किया है, ऐसी स्थिति में पक्षकारान् के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है और वादीगण को उक्त विवादित कृषि भूमियों का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है व संबंधित तहसीलदार, लूणी को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमियों के नामान्तरकरण वादीगण के नाम नियमानुसार दर्ज कर इस कार्यालय को सूचित करें।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 09 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती सुआ पत्नि स्व. भगाराम 2. तेजाराम पुत्र स्व. भगाराम जाति पटेल निवासी बड़लानगर गांव झंवर तहसील लूणी जोधपुर।		1. राजाराम पुत्र भूराराम 2. डुंगरराम पुत्र भूराराम 3. मांगीदेवी पुत्री भूराराम 4. सोनीदेवी पुत्री भूराराम 5. धापूदेवी पुत्री भूराराम 6. शांतिदेवी पत्नि भूराराम 7. माडूदेवी पुत्री भूराराम सभी जाति पटेल निवासी बड़लानगर गांव झंवर तहसील लूणी जोधपुर। 8. खींयाराम पुत्र प्रभूराम जाति पटेल निवासी बड़लानगर गांव झंवर तहसील लूणी जोधपुर। 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा वास्ते बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 09 / 2019 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम कि ग्राम बड़ला नगर के ख.नं. 1283 रकबा 32 बीघा, ख.नं. 1282 रकबा 10.10 बीघा, वाके ग्राम झंवर के खं.न. 1343 / 1 रकबा 3 बीघा एवं वाके ग्राम अजीत नगर के ख.नं. 941 रकबा 36.14 बीघा में निहित हिस्से में दर्ज खातेदार स्व. भगाराम पुत्र भुराराम जाति पटेल के विधिक वारिसान् की पूर्ण जांच कर विरासत का नामा.करण दर्ज करें। तदनुसार माफिक राजीनामा प्रतिवादीगण के साथ स्व. भगाराम के वारिसान को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

....बाबत...................................खर्चा नीज.......................................मुबलिक.............................फीसदी सालाना आज की तारीख व इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह...को अदा करें। तारीख वसुलयाबी तक..

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 15/11/2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी लूणी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा		
वकालतनामा			स्टाम्प		
स्टाम्प वजह सबूत			वकालतनामा		
महनताना वकील			स्टाम्प वजह सबूत		
खर्चा गवाहान			महनताना वकील		
फीस कमिश्नर			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			फीस कमिश्नर		
मीजान			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
			मीजान		

सहायक कलक्टर
उपखण्ड एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 202
कैम्प कोर्ट